

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/बजट/बी-4/25605/2020-21/297


दिनांक :- 28/10/2020

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,
रा.उ.मा.वि./रा.बा.उ.मा.वि./रा.मा.वि./रा.बा.मा.वि.,

विषय:- नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण करते रहने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प.4(6)शिक्षा-1/2019 जयपुर दिनांक 29.09.2020

---0---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 127.03 की अनुपालना में राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश द्वारा 258 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाकर पदों का सृजन किया गया है। इन क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर प्रधानाचार्य के पद का पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जब तक प्रधानाचार्य के पदस्थापन के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक इन नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक को पूर्व की भांति ही अग्रिम आदेशों तक सामान्य वित्तीय लेखा नियम 03 के तहत आहरण वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। वे अपना वेतन भी प्रधानाचार्य के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करते रहेंगे तथा इनको विद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्य यथावत करते रहने के लिए भी अधिकृत किया जाता है।



(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/बजट/बी-4/25605/2020-21/297

दिनांक 28/10/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), कार्यालय हाजा को उनकी अ.टि. क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/एपीओ पदस्थापन/प्र.अ./2020/2 दिनांक 26.10.2020 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग,
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा,
4. समस्त कोषाधिकारी, जिला कोषालय,
5. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन एबी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. अनुभाग अधिकारी, लेखा डी-2 अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार 27/10

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर